दरभंगा जिलान्तर्गत बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत मदरसा रहमानिया अफजला, ग्राम-सुपौल, प्रखंड-बिरौल, जिला-दरभंगा में 100 शैय्या वाले अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कार्य हेतु दिनांक: 08.06.2020 को प्राप्त ई-निविदा के परिवाद के निस्तार हेतु निगम निविदा समिति की दिनांक: 28.07.2020 को आहूत बैठक की कार्यवाही:-

---

उपस्थिति:-

1.	श्री अमित कुमार, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना।	-	अध्यक्ष
2.	श्री राकेश कुमार, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भ0नि0वि0, पटना।	-	सदस्य
3.	श्री सतीश कु0 सिंह, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भ0नि0वि0, पटना।	-	सदस्य
4.	श्री सुधांशु शेखर राय, मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना।	-	सदस्य
5.	श्री बिनोद कुमार, महाप्रबंधक (उत्तर), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना।	-	सदस्य
6.	श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, महाप्रबंधक (वित्त), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना।	-	सदस्य

1	योजना का नाम	:-	दरभंगा जिलान्तर्गत बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत मदरसा रहमानिया अफजला, ग्राम-सुपौल, प्रखंड-बिरौल, जिला-दरभंगा में 100 शैय्या वाले अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कार्य।
2	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	:-	₹4,24,20,000.00
3	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	:-	पत्रांक-688, दिनांक: 13.02.2020.
4	प्रावैधिक स्वीकृति की राशि	:-	₹4,34,81,000.00
5	परिमाण विपत्र की राशि	:-	₹4,07,32,062.00
6	निविदा प्राप्त करने की तिथि	:-	08.06.2020
7	निविदा खोलने की तिथि:- (तकनीकी बीड)	:-	09.06.2020
8	निविदा प्रसारण का माध्यम	:-	ई-निविदा एवं दैनिक समाचार पत्र
9	निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशन की तिथि एवं प्रकाशित समाचार पत्र का नाम:-	:-	दैनिक भास्कर एवं दैनिक जागरण/ दिनांक: 19.02.2020
10	प्रकाशन का पी0आर0 संख्या	:-	16024 (NI. NI) 2019-20
11	निविदा में भाग लेनेवाले निविदादाता का नाम एवं पता	:-	(i) श्री चक्रधर चौधरी, दलसिंहसराय, समस्तीपुर (ii) मे0 माधव कंस्ट्रक्शन, अंडमा, बहादुरपुर, दरभंगा (iii) श्री प्रजापति चौधरी, विशनपुर, दरभंगा (iv) मालती सिंह, जोगियारा, जाले, दरभंगा
12	**तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा**	:-	**(दिनांक: 08.07.2020)**

<u>प्रथमवार आमंत्रित ई0-निविदा (वर्त्तमान):-</u>

इस ई-निविदा में चार निविदादाताओं ने भाग लिया है। दिनांक: 18.06.2020 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में दिनांक: 19.06.2020 को आहूत निगम निविदा समिति के निर्णयानुसार उक्त निविदा में भाग लेने वाले चार निविदादाताओं (i) श्री चक्रधर चौधरी, दलसिंहसराय, समस्तीपुर, (ii) मे0 माधव

कंस्ट्रक्शन, अंडमा, बहादुरपुर, दरभंगा, (iii) श्री प्रजापति चौधरी, विशनपुर, दरभंगा एवं (iv) मालती सिंह, जोगियारा, जाले, दरभंगा में से तीन निविदादाताओं (i) मे0 माधव कंस्ट्रक्शन, अंडमा, बहादुरपुर, दरभंगा, (ii) श्री प्रजापति चौधरी, विशनपुर, दरभंगा एवं (iii) मालती सिंह, जोगियारा, जाले, दरभंगा को तकनीकी बीड में सफल घोषित किया गया था तथा (iv) श्री चक्रधर चौधरी, दलसिंहसराय, समस्तीपुर को तकनीकी बीड में असफल घोषित किया गया था।

निगम निविदा समिति कार्यवाही निगम के बेवसाईट पर दिनांक: 26.06.2020 के 12:30 बजे अपराह्न तक परिवाद प्राप्त करने हेतु रखा गया था, जिसमें परिवाद प्राप्त हुआ, जिसकी समीक्षा का सार निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	परिवाद	समीक्षा
1	दिनांक: 25.06.2020 को समर्पित परिवाद में श्री चक्रधर चौधरी, ग्राम+पो0-केवटा, थाना-दलसिंहसराय, जिला-समस्तीपुर के द्वारा उक्त निविदा में इन्हें तकनीकी बीड असफल करने के संबंध में लिखा है कि किसी पर प्राथमिकी दर्ज होने मात्र से कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं हो सकता है, जब तक कि उस पर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध नहीं हो जाता। इसलिए प्राथमिकी दर्ज होने के आधार पर निविदा में असफल कर देना न्यायसंगत नहीं है, जबकि निचली अदालत के द्वारा प्राथमिकी को गलत मानते हुए मुझे जमानत भी दे दिया गया है और निविदा में मैंने अपनी कोई भी तथ्य नहीं छुपाया है।	सात निश्चय के तहत महिला औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्तीपुर के निर्माण कार्य (विद्युत कार्य, फर्नीचर एवं फायर फाइटिंग सहित) हेतु आमंत्रित ई-निविदा के निष्पादन के क्रम में भवन निर्माण विभाग के वेबसाईट पर अपलोड किए गए दिनांक: 27.11.2019 को आहूत विभागीय निविदा समिति की कार्यवाही से स्पष्ट है कि श्री चक्रधर चौधरी, ग्राम+पो0-केवटा, थाना-दलसिंहसराय, जिला-समस्तीपुर के द्वार उक्त निर्माण कार्य में फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया था, जिसकी जाँच कराने के बाद ही इनके विरूद्ध बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के प्रावधानों के तहत इनके विरूद्ध कार्रवाई एवं फर्जीवाड़ा हेतु प्राथमिकी दर्ज करने का निर्णय लिया गया था। चूँकि भवन निर्माण विभाग द्वारा आमंत्रित उक्त निविदा में इनके ऊपर गलत अनुभव प्रमाण-पत्र डालने के कारण फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। जिसके लिए इन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उक्त प्राथमिकी पर कार्रवाई न्यायालय के विचाराधीन है और इन्हें सिर्फ जमानत ही दिया गया है, आरोप मुक्त नहीं किया गया है। इसलिए इनके परिवाद को अमान्य करते हुए तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति इन्हें तकनीकी बीड में असफल घोषित करने की अनुशंसा निगम निविदा समिति से की गई है।
2	मालती सिंह, जोगियारा, जाले, दरभंगा के संबंध में।	दिनांक: 28.01.2019 को बाजार समिति शिवधारा, दरभंगा के सड़क के जीर्णोद्धार कार्य हेतु आमंत्रित निविदा के निस्तार हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही के अवलोकन से पता चलता है

		कि मालती सिंह, जोगियारा, जाले, दरभंगा जिला परिषद के सदस्य है। तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा CWJC सं0-21740/2012 मे0 नारायणी कंस्ट्रक्शन प्रा0लि0 बनाम अन्य सरकार के मामले में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार द्वारा द्वारा पत्रांक-2996, दिनांक: 24.04.2014 के माध्यम् से पारित सकारण आदेश की जिला परिषद एवं अन्य संस्थान के निर्वाचित सामान्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा आमंत्रित की गयी निविदा में भाग नही ले सकते है के आलोक में इन्हें तकनीकी बीड में असफल घोषित कर दिया गया था। मालती सिंह, जोगियारा, जाले, दरभंगा अभी भी जिला परिषद की निर्वाचित सदस्या है। उक्त के आलोक में तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा मालती सिंह, जोगियारा, जाले, दरभंगा को तकनीकी बीड में असफल घोषित करने की अनुशंसा निगम निविदा समिति से की गई है।
3	दिनांक: 26.06.2020 को ई0-मेल के माध्यम् से मे0 विश्वनाथ निर्माण प्रा0 लि0, जहानाबाद ने सूचित किया है कि मे0 माधव कंस्ट्रक्शन, अंडमा, बहादुरपुर, दरभंगा के निबंधन को बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के पत्रांक-6777, दिनांक: 18.11.2019 के द्वारा निलंबित किया जा चुका है।	मे0 माधव कंस्ट्रक्शन, अंडमा, बहादुरपुर, दरभंगा के निबंधन को बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के पत्रांक-6777, दिनांक: 18.11.2019 के द्वारा निलंबित किए जाने के कारण मे0 विश्वनाथ निर्माण प्रा0 लि0, जहानाबाद के परिवाद को मान्य करते हुए इन्हें तकनीकी बीड में असफल घोषित करने की अनुशंसा निगम निविदा समिति से की गई है।

अतएव, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सम्यक् विचारोपरांत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त ई-निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता (i) मालती सिंह, जोगियारा, जाले, दरभंगा, (ii) मे0 माधव कंस्ट्रक्शन, अंडमा, बहादुरपुर, दरभंगा को एवं (iii) श्री चक्रधर चौधरी, दलसिंहसराय, समस्तीपुर के परिवाद को अमान्य करते हुए इन्हें तकनीकी बीड में असफल घोषित करने की अनुशंसा साथ ही शेष एकमात्र निविदादाता श्री प्रजापति चौधरी, विशनपुर, दरभंगा के संदर्भ में दिनांक: 19.06.2020 को आहूत निगम निविदा समिति के निर्णय को यथावत् रखने की अनुशंसा निगम निविदा समिति से की गई है।

चूँकि उक्त निविदा में एकमात्र निविदादाता श्री प्रजापति चौधरी, विशनपुर, दरभंगा सफल हो रहे है तथा उक्त ई-निविदा प्रथमवार आमंत्रित की गई है। इसलिए तकनीकी बीड में एकमात्र निविदादाता श्री प्रजापति चौधरी, विशनपुर, दरभंगा के रेस्पाँसिव पाये जाने के कारण वित्त विभाग की अधिसूचना सं0-7806/वि0, दिनांक: 30.09.2016 के आलोक में संबंधित निविदा को रद्द करने की अनुशंसा निगम निविदा समिति से की गई है।

13. <u>निगम निविदा समिति का निर्णयः-</u>

उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांकः 08.07.2020 की अनुशंसा (संलग्न) के आलोक में इस ई-निविदा में भाग लेने वाले चार निविदादाताओं (i) मालती सिंह, जोगियारा, जाले, दरभंगा, (ii) मे0 माधव कंस्ट्रक्शन, अंडमा, बहादुरपुर, दरभंगा, (iii) श्री प्रजापति चौधरी, विशनपुर, दरभंगा एवं (iv) श्री चक्रधर चौधरी, दलसिंहसराय, समस्तीपुर में से एकमात्र निविदादाता श्री प्रजापति चौधरी, विशनपुर, दरभंगा को तकनीकी बीड में सफल घोषित किया जाता है तथा तीन निविदादाताओं (i) मालती सिंह, जोगियारा, जाले, दरभंगा, (ii) मे0 माधव कंस्ट्रक्शन, अंडमा, बहादुरपुर, दरभंगा एवं (iii) श्री चक्रधर चौधरी, दलसिंहसराय, समस्तीपुर को तकनीकी बीड में असफल घोषित किया जाता है। चूँकि उक्त ई-निविदा प्रथमवार आमंत्रित की गई है तथा तकनीकी बीड में एकमात्र निविदादाता श्री प्रजापति चौधरी, विशनपुर, दरभंगा के रेस्पॉसिव पाये जाने के कारण वित्त विभाग की अधिसूचना सं0-7806/वि0, दिनांकः 30.09.2016 के आलोक में संबंधित निविदा को रद्द करते हुए पुनर्निविदा करने का निर्णय लिया जाता है। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि इस कार्यवाही को निगम बेवसाईट पर सूचनार्थ रखा जाय एवं मुख्य महाप्रबंधक पुनर्निविदा आमंत्रित करने संबंधी अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।

14. निगम निविदा समिति की इस कार्यवाही को निगम बेवसाईट पर डाली जाय।

28/07/2020
(जितेन्द्र कु0 सिंह)
महाप्रबंधक (वित्त)
बि0रा0भ0नि0नि0लि0,पटना।

28/7/2020
(बिनोद कुमार)
महाप्रबंधक (उत्तर)
बि0रा0भ0नि0नि0लि0,पटना।

28-7-2020
(सुधांशु शेखर राय)
मुख्य महाप्रबंधक
बि0रा0भ0नि0नि0लि0,पटना।

(सतीश कु0 सिंह)
अपर सचिव-सह-आं0 वित्तीय सलाहकार, भ0नि0वि0, पटना

(राकेश कुमार)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भ0नि0वि0, पटना।

(अमित कुमार)
प्रबंध निदेशक
बि0रा0भ0नि0नि0लि0,पटना।